

**बिहार पुलिस मुख्यालय  
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)  
आदेश**

पी०-१/०४-०९-२८-२०२३


पटना, दिनांक...११/१/२४...

बिहार पुलिस हस्तक-१९७८ के खण्ड-१ नियम ६६८ एवं खण्ड-३ परिशिष्ट-४१ के अनुसार पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि ०२ वर्ष की परिक्ष्यमान अवधि के उपरान्त पुलिस महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

समीक्षा के क्रम में कतिपय पुलिस निरीक्षकों की सेवा संपुष्टि मात्र ०१ वर्ष के परिक्ष्यमान अवधि के उपरान्त किया जाना पाया गया है, जो नियमसंगत नहीं है। अतएव निम्नांकित पुलिस निरीक्षकों की सेवा संपुष्टि संबंधी पूर्व के आदेशों को रद्द करते हुए उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सेवा संपुष्टि की जाती है :-

क्र०	पु०नि० का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	पु०नि० की कोटि में योगदान की तिथि	पु०नि० की कोटि में सम्पुष्टि की तिथि
१	२	३	४	५
१	पवन कुमार/नवादा/०१.०६.१९७१	औरंगाबाद	२३.०१.२०१४	२३.०१.२०१६
२	सत्येन्द्र कुमार शाही /गया/०१.०४.१९६५	पटना	१२.११.२०१३	१२.११.२०१५
३	संजीत कुमार सिन्हा/पटना/१०.०१.१९६९	आ०अप०ई०	२६.११.२०१३	२६.११.२०१५
४	कमलेश्वर कुमार/पटना/१२.०१.१९६८	भोजपुर	२३.०१.२०१४	२३.०१.२०१६
५	अविनाश कुमार सिंह/नालंदा/०१.०१.१९७२	भोजपुर	२१.०२.२०१४	२१.०२.२०१६
६	सुनील कुमार/सीवान/१९.०१.१९७०	आ०अप०ई०	२३.०१.२०१४	२३.०१.२०१६
७	भवेश कुमार मंडल/राज्य से बाहर/ १५.०७.१९६८	जहानाबाद	१८.०२.२०१४	१८.०२.२०१६
८	सुबोध कुमार-१/पटना/०५.०६.१९७०	रोहतास	०७.०३.२०१४	०७.०३.२०१६
९	विजय कुमार गुप्ता/भोजपुर/१२.११.१९६९	पटना	११.०७.२०१४	११.०७.२०१६
१०	मनोज कुमार/सीतामढ़ी/११.०५.१९७०	बि०पु० मुख्या०	२८.०२.२०१४	२८.०२.२०१६
११	शरेन्दु शरद/गया/०१.०७.१९६५	विशेष शाखा	२८.०२.२०१४	२८.०२.२०१६
१२	सुबोध कुमार मिश्रा/ अररिया/२७.०४.१९६८	सीतामढ़ी	२८.०२.२०१४	२८.०२.२०१६

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


  
 पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),  
 बिहार, पटना

ज्ञापांक- पी0-1/04-09-28-2023/.....24.....

पटना, दिनांक 13/1/24

प्रतिलिपि:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध इकाई/विशेष शाखा, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया/केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन-सोन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद/भोजपुर/जहानाबाद/रोहतास/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. रक्षित पदाधिकारी, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को इस आदेश को बिहार पुलिस के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),  
बिहार, पटना।